

2016-2017

अधन नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2016-2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम रवि प्रकाश शेरमा 2. वर्तमान धारित पद उप निरीक्षक (आ.स.स.स.) 3. कार्यालय का नाम ग्राम इकाई (पी/उंचार)  
 4. वर्तमान वेतन 47230/568538 5. मविध्य निधि क्रमांक 22694607 6. कर्मचारी संख्या 184443462 शिवपुर

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यारे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/ कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जितकी गई हो उसका नाम तथा ब्यारा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	घर तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
शिवपुर उपनिगा 541/1.2 उ.स.स.स. रबलपुरा	न.न 2363/LB		पट्टी का खत	उप निरीक्षक शिवपुर	25X50 फीट उपनिगा के लिए उपनिगा के लिए उपनिगा के लिए उपनिगा के लिए उपनिगा के लिए	उपनिगा के लिए उपनिगा के लिए	
		25X50 प्लॉट	उपनिगा खत	उपनिगा शिवपुर	उपनिगा के लिए उपनिगा के लिए	उपनिगा के लिए उपनिगा के लिए	

हस्ताक्षर रवि प्रकाश शेरमा  
 नाम रवि प्रकाश शेरमा  
 पद उप निरीक्षक (आ.स.स.स.) शिवपुर

- \* जहां लागू न हो काट दीजिए
- \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी- मंडल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण दें।

इस कार्यालय उपलब्ध कक्षा जाना सुनिश्चित करें।  
 संलग्न - उपरोक्तानुसार